रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

**हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित**

**शिमला, सोमवार, 22 सितम्बर, 2003/31 भाद्रपद, 1925**

### हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2003

संख्या एल० एल० आर०-डी (6)-20/2003-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-9-2003 को यथा अनुमोदित मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 17) को वर्ष 2003 के

2382-राजपत्र/2003-22-9-2003—1,453



मूल्य : 1 रुपया।

अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

2003 का अधिनियम संख्यांक 18

# मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2003

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 सितम्बर, 2003 को यथा अनुमोदित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2003 है।

धारा 3 का प्रतिस्थापन।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. (1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थात् :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) | मुख्य मन्त्री | .. अठारह हजार रुपये प्रतिमास; |
| (ख) | कैबिनेट मन्त्री | .. पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमास; |
| (ग) | राज्य मन्त्री | .. ग्यारह हजार रुपय प्रतिमास; और |
| (घ) | उप मन्त्री | .. दस हजार रुपये प्रतिमास। |

(2) प्रत्येक मन्त्री प्रतिमास पांच हजार रुपये की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

1971 का 8 (3) प्रत्येक मन्त्री अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान —— सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप- के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदा ।

धारा 4 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाएगा।

धारा 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि मन्त्री को, जो इस उप-धारा के अधीन टेलीफोन स्थापित करता है, सात हजार रुपये प्रतिमास की दर से टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।"।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Act No. 18 of 2003.**

# THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH SEPTEMBER, 2003)

AN

## ACT

*further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2003.

Substitution of section 3.

2. For section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter called the "principal Act"), the following shall be substituted, namely :—

**"3. (1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely :—**

| | | |
|---|---|---|
| **(a)** | **Chief Minister** | **Eighteen thousand rupees per mensem;** |
| **(b)** | **Cabinet Minister** | **Fifteen thousand rupees per mensem;** |
| **(c)** | **Minister of State** | **Eleven thousand rupees per mensem; and** |
| **(d)** | **Deputy Minister** | **Ten thousand rupees per mensem.** |

**(2) Each Minister shall he entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.**

**(3) Each Minister shall be entitled to receive an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.".**

Omission of section 4.

3. Section 4 of the principal Act shall be omitted.

Amendment of section 10.

4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the existing first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

**"Provided that a Minister who installs a telephone under this sub-section shall be paid telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.".**

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित